पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2021

1. हितेश बेरवाल पुत्र नरेन्द्रकुमार बेरवाल जाति जाट निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. रितिका चौधरी पुत्री नरेन्द्रकुमार बेरवाल जाति जाट निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. नरेन्द्रकुमार पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक [illegible] के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नंन्दुसिंह [illegible] की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के वर्तमान खाता स0 151/502 के खसरा स0 203/1 की 3.743है0 खसरा स0 332 की 1.315है0 खसरा स0 339/1 की 2.478है0 खसरा स0 887 की [illegible]है0 खसरा स0 888 की 1.166है0 कुल 14.228है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी [illegible] 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 1 [illegible] की [जाए] वादीगण व प्रतिवादी सं 1 नरेन्द्रकुमार को वहिस्सा बराबर [illegible] काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन [illegible] होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 हितेश बेरवाल वादी सं 2 रितिका चौधरी व प्रतिवादी सं 1 नरेन्द्रकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 71/2021

1. हितेश वेरवाल पुत्र नरेन्द्रकुमार वेरवाल जाति जाट निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. रितिका चौधरी पुत्री नरेन्द्रकुमार वेरवाल जाति जाट निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. नरेन्द्रकुमार पुत्र सीताराम जाति जाट निवासी शेरड़ा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादीगण

वकील श्री नन्दुसिंह गोदारा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 01.3.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के वर्तमान खाता स0 151/502 के खसरा स0 203/1 की 3.743है0 खसरा स0 332 की 1.315है0 खसरा स0 339/1 की 2.478है0 खसरा स0 887 की 5.526है0 खसरा स0 888 की 1.166है0 कुल 14.228है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादीगण के दादा सीताराम की खातेदारी हुआ करती थी। सीताराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 नरेन्द्रकुमार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के ... प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सं... को स्वी... करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया ... सं 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश ... जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु हितेश बेरवाल पुत्र नरेन्द्रकुमार बेरवाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम शेरड़ा खाता सं0 151/502 प्रदर्श 1 नामान्तरण सं0 2316 प्रदर्श 2 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 3 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। वाद भूमि के अलावा भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अन्य कृषि भूमि है अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही शेरड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम शेरड़ा खाता सं0 151/502 प्रदर्श 1 नामान्तरण सं0 2316 प्रदर्श 2 जमाबंदी पैतृक प्रदर्श 3 तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 2 व 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 4 में वारिस प्रमाण के अनुसार नरेन्द्रकुमार के एक पुत्र हितेश बेरवाल व एक पुत्री रितिका चौधरी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 जन्म से हक हिस्सा निहित है । अतः वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरड़ा के वर्तमान खाता स0 151/502 के खसरा स0 203/1 की 3.743है0 खसरा स0 332 की 1.315है0 खसरा स0 339/1 की 2.478है0 खसरा स0 887 की 5.526है0 खसरा स0 888 की 1.166है0 कुल 14.228है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं 1 नरेन्द्रकुमार की बजाए वादीगण व प्रतिवादी सं 1 नरेन्द्रकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 हितेश बेरवाल वादी सं 2 रितिका चौधरी व प्रतिवादी सं 1 नरेन्द्रकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.3.21......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:06 IST
Reason: SelfAttested

(…यिनीयण)
R.A.S.
…कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
…रा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner